न्यायालय उपखण्डअधिकारी,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–14/2021

भादरराम पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी चक 88 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

——— वादी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ जिला श्री गंगानगर(राज.)

————प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सहपठित धारा–136 एलआर एक्ट

::निर्णय:: दिनांक–01/09/2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं वादी के भाईयों धूड़ाराम, बीरबलराम, मनफूलराम, लिछमणराम व रूपाराम के नाम से वाके चक 88 जीबी का मुरब्बा नं.–10 पत्थर नं.–302/426 की 5.0009 हैक्टर व इसी चक के मुरब्बा नं.–21 पत्थर नं.–302/426 की 1.265 हैक्टर इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 6.2740 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि मुस्तरका खाता की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। उक्त विवादित भूमि वादी के दादा श्री लाधुराम के फौत हो जाने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में मुस्तरका खाता में वादी व उसके भाईयों के नाम से विरास्तन दर्ज हो गई। उपरोक्त मुस्तरका खाता में से वादी के हिस्सा की कृषि भूमि निरन्तर वादी के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादी का वास्तविक नाम भादरराम है एवं वादी के समस्त दस्तावेजात में भी वादी का नाम भादरराम ही अंकित है। चूंकि उपरोक्त कृषि भूमि वादी के दादा श्री लाधुराम पुत्र श्री कालूराम के नाम से अलॉट हुई थी। वादी के दादा श्री लाधुराम के फौत हो जाने के बाद विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वादी का नाम सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में भादरराम की रूधाराम दर्ज हो गया एवं इसी प्रकार वादी की माता स्व. सुगनीदेवी जिनका देहान्त हो चुका है, का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से किशनी पत्नी किशनराम दर्ज हो गया है जो एक संदभाविक एवं माननीय भूल है जिसका वादी को पूर्व मे इल्म नही था आज से दो माह पूर्व जब वादी व वादी के भाईयों ने अपनी माता के हिस्सा में आई कृषि भूमि का बंटवारा कर भूमि को अपने नाम से करवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो वादी को उक्त त्रुटि का ज्ञान हुआ, जिस पर वादी ने करीब एक माह पूर्व प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर आपके राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं वादी की माता के नाम की हुई त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन किया [illegible] वादी ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आये यही [illegible] का सही वा वास्तविक नाम भादरराम पुत्र किशनाराम है तथा इसी प्रकार [illegible] की माता का सही व वास्तविक नाम सुगनीदेवी पत्नी किशनाराम है। वादी एवं वादी [illegible] माता की पहचान के दस्तावेजात आधार कार्ड , राशनकार्ड, वादी की बैंक पास–बुक, वादी [illegible] पैन कार्ड वादी की माता के मृत्यु प्रमाण पत्र व राशन कार्ड आदि की चित्रप्रतियॉ संलगन वाद पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by: Priyanka Talania
Date: 2022.09.27 16:34:40 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ चक 88 जीबी में पत्थर नं.–302/426 का

5.009 हैक्टर एवं पत्थर नं.–302/427 का 1.265 हैक्टर कुल तादादी 6.274 हैक्टर नहरी रकबा रूघाराम पुत्र किशनाराम 299/627 हिस्सा जाति नायक साकिन देह खातेदार वगैरह के नाम से दर्ज है। मौके पर पूछताछ करने पर प्रार्थी के भाईयो तथा पडौसियों ने बताया कि रूधाराम के नाम का इनका कोई भाई नही है तथा भादरराम का नाम खाते मे दर्ज नही है। अतः यह रूधाराम ही भादरराम है। रूधाराम व भादरराम एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, जॉबकार्ड व राशनकार्ड में भादरराम अंकित है। प्रार्थी की माता के नाम के लिए संलग्न जमाबंदी सम्वत 2037 से 2041 में प्रार्थी की माता का नाम सुगनी दर्ज था जो आगे की जमाबन्दियों तैयार करते समय सुगनी की जगह किशनी सहवन से लिखा गया। उक्त रकबा बाबत किसी न्यायालय का स्थगन या विवाद नही है। तथा प्रार्थी व प्रार्थी की माता का नाम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में वादी का नाम रूघाराम पुत्र किशनाराम न होकर भादरराम पुत्र किशनाराम एवं वादी की माता का नाम किशनी के स्थान पर सुगनीदेवी पत्नी किशनाराम प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद–पत्र वादी के शपथ–पत्र एवं अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, जॉबकार्ड आदि के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर बाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 88 जीबी का मुरब्बा नं.–10 पत्थर नं.–302/426 की 5.0009 हैक्टर व इसी चक के मुरब्बा नं.–21 पत्थर नं. –302/426 की 1.265 हैक्टर इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 6.2740 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रूघाराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर रूघाराम उर्फ भादरराम पुत्र किशनाराम एवं वादी की माता का नाम किशनी के स्थान पर किशनी उर्फ सुगनीदेवी पत्नी किशनाराम एतद्द्वारा दुरूस्त किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त दुरूस्ती का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 01/09/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.09.27 16:34:40 IST
Reason: SelfAttested